न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान

मु०नं० 150/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	7/12/23	5/3/24
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार जमवारामगढ़ के आदेश क्रमांक /रीडर/2023/5-26 दिनांक 24/12/23 द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। P.O.W. आज राजकार्य से बाहर होने से पत्रावली आइंदा कार्यवाही हेतु दिनांक 21/3/24 को पेश हो।
	21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रा.पत्र, तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कायम हो तथा बाद तामील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(½)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
150 / 2023	11 / 09 / 2023	21 / 03 / 2024

1. दिलराज मीना पुत्र श्री रामधन मीना निवासी ग्राम ड्योडा डूंगर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (राज)।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामजीलाल मीना – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् राजस्व, रिकार्ड में नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रामजीलाल के यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी राजस्व, रिकार्ड में नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ड्योडा डूंगर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.5100है0 व खसरा नम्बर 917 रकबा 0.4600 है0 तथा खसरा नम्बर 918 रकबा 0.4400 है0 भूमि ग्राम ड्योडा डूंगर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी का नाम दीलराज मीना पुत्र श्री रामधन मीना निवास ग्राम ड्योडा डूंगर पोस्ट मानोता तहसील जमवारामगढ, राजस्थान है। जिसका जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड में गोलू पुत्र रामधन अंकित कर दिया गया है, जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत अंकन कर दिया गया है, जिसको दुरस्त कर प्रार्थी की वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र सहित समस्त दस्तावेजों में दिलराज पुत्र रामधन मीना ही अंकित चला आ रहा है, जो कि सही है, व उक्त खसरा नम्बरों मे दर्ज गोलू पुत्र रामधन को दुरस्त किया जावें। ग्राम ड्योडा डूंगर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.5100 है0 व खसरा नम्बर 917 रकबा 0.4600 है0 तथा खसरा नम्बर 918 रकबा 0.4400 है0 भूमि ग्राम ड्योडा डूंगर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम गोलू पुत्र रामधन मीना अंकन कर रखा है, व गलत है क्योंकि प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों में दिलराज पुत्र रामधन मीना ही शुरु से चला आ रहा है, परन्तु प्रार्थी का नाम उक्त खसरा नम्बरों में गोलू पुत्र रामधन मीना अंति होने से सरकारी योजनाओं का एवं किसान क्रेटिड कार्ड व कई योजनाओं से वंचित हो गया हूँ तथा मै प्राथी हल्का पटवारी तहसीलदार महोदय व अन्य राजस्व कर्मचारियों के चक्कर लगाते–लगाते परेशान हो चुका हूँ इसलिए मेरे गलत नाम को दुरूस्त किया जाना विधि संगत होगा। अतः खसरा नम्बर 601 रकबा 0.5100 है0 व खसरा नम्बर 917 रकबा 0.4600 है0 तथा खसरा नम्बर 918 रकबा 0.4400 है0 भूमि ग्राम ड्योडा डूंगर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जो गलत अंकन कर दिया गया है, उसको दुरस्त करते हुये प्रार्थी की वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र सहित समस्त दस्तावेजों में दिलराज पुत्र रामधन मीना ही अंकित चला आ रहा है, जो कि सही है व उक्त खसरा नम्बरों में दर्ज गोलू पुत्र रामधन को दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(1/2)

(2/2)

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /रीडर/2023/526 दिनांक 24.12.2023 द्वारा जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि वादी के नाम ग्राम ड्योडा डूंगर तहसील जमवारामगढ जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.5100 है0, ख0न0 917 रकबा 0.4600 है0, खसरा नम्बर 918 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4100है0 है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी की सहखातेदारी दर्ज है। जिस पर वादीगण जन्म से कब्जाकाश्त है। वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे गोलू पुत्र रामधन दर्ज है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में यथा आधार कार्ड, जनाआधार कार्ड, परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में वादी का नाम दिलराज मीना पुत्र रामधन मीना दर्ज है। अतः उक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर वादी का नाम गोलू के बजाय दिलराज मीना पुत्र रामधन मीना दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम ड्योडा डूंगर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 601 रकबा 0.5100है0 व खसरा नम्बर 917 रकबा 0.4600 है0 तथा खसरा नम्बर 918 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4100 हैक्टेयर को मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोलू के बजाय गोलू उर्फ दिलराज मीना पुत्र रामधन मीना दर्ज कर दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ़